

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद

संख्या 47

वर्ष 20.23...

विविधवाद / प्रथम अपील



DISPOSED

बनाम

अपीलकर्ता श्रीमती कबूतरी देवी
उमा०५८०८-कोषे, प्र०-मनिका
जिला-घाटीहार

प्रतिवादी जिला आष्टर्ति पक्षाधिकारी, पातेहार।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
27.07.2023	<p style="text-align: center;"><u>झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग</u> <u>कैम्प कार्यालय, लातेहार</u> <u>वाद सं-५५ / 2023</u></p> <p>आज दिनांक—27.07.2023 को लातेहार परिसदन भवन में आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई के दौरान नरेगा सहायता केन्द्र, मनिका के माध्यम से परिवाद पत्रों की सूची एवं उनकी प्रति आयोग को उपलब्ध कराई गई। उपलब्ध कराए गये सूची में आयोग को व्हाट्सएप्प के माध्यम से पूर्व प्रेषित परिवाद पत्रों का उल्लेख है। सूची में क्रमांक—15 पर अंकित शिकायतकर्ता श्रीमती कबूतरी देवी, ग्राम+पंचायत—कोपे, प्रखण्ड—मनिका, जिला—लातेहार ने आयोग को लिखित शिकायत की है कि उन्हें उपलब्ध कराए गए अनाज में डीलर द्वारा प्रति माह 02 किंग्रा० की कटौती की जाती है। मामले में आयोग द्वारा पत्रांक—WA/430/2023 दिनांक—10.07.2023 के माध्यम से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को कार्रवाई करते हुए, कृत कार्रवाई से 15 दिनों के अन्दर आयोग को अवगत कराने का निदेश दिया गया था, परन्तु आयोग के निदेश का अनुपालन अब तक नहीं हुआ।</p> <p>आयोग जनसुनवाई में उपस्थित अनुमण्डल पदाधिकारी—सह—जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को निर्देश देता है कि इस मामले में जाँच करें एवं यदि शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराया गया शिकायत सही पाया जाता है, तो शिकायतकर्ता को अब तक जितना राशन कम दिया गया है, उन्हें सवा गुणा मुआवजा के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही डीलर को सख्त चेतावनी दी जाए कि लाभुक को उपलब्ध किये जाने वाले अनाज में एक ग्राम भी कटौती नहीं की जाए। यदि कटौती करते हुए पाए गए तो सख्त कार्रवाई होगी।</p> <p>इस निर्देश के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  (शब्दनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। </div> <div style="text-align: center;">  (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। </div> </div>	